

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 119/2019

निर्णय दिनांक -10.06.2019

1. भंवरलाल पिता मेघराज जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. प्रेमचन्द पिता मेघराज जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. कमलेश पिता जगदीश जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. धर्मेन्द्र पिता जगदीश जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. पुजा पिता जगदीश जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
6. मु0 गीता पत्नि जगदीश जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. घनश्याम पिता लक्ष्मीनारायण जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. शांतिलाल पिता बद्रीलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. नारायण पिता गंगाराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. शांतिलाल पिता घीसालाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. रामप्रसाद पिता देवराम जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
6. भगवतराम पिता चम्पालाल जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
7. मुरलीप्रसाद पिता हेमराज जाति पाटीदार आयु वयस्क निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीगण नं0 1 व 2 की खाता संख्या 351 की आराजी नं0 1551 रकबा 0.3800 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 3 से 6 की खाता संख्या 237 की आराजी नं0 1550 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थीगण नं0 1 व 2 की खाता संख्या 351 की आराजी नं0 1551 रकबा 0.3800 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 3 से 6 की खाता संख्या 237 की आराजी नं0 1550 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

